(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0. 70 (आर.ई. 2013)/2009–2014

दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः– दिनांक 25.02.2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 52 का शुद्धि पत्र ।

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 25.02.2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 52 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

2. परिशिष्ट37घ, तालिका–1 के तहत निम्नलिखित मदों के लिए लाभ की दरों में संशोधन किया गया हैः–

क्रम सं.	एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी एचएस	विवरण	वर्तमान दर (जैसा कि सार्व. सू. 52 दिनांक 25.02. 2014 में उल्लिखित है)	सुधार के पश्चात् दर
175	175	701120	कैथोड–रे ट्यूबों के लिए ग्लास एन्वेलप	2%	5%
211	211	36050010	सेफ्टी माचिस	2%	5%
237	237	35021100	सूखा अंडा श्वेतक	2%	5%
293	293	8518	माइक्रोफोन और उनके स्टैंड; लाउडस्पीकर, चाहे एन्क्लोजर में आलंबित हो अथवा नहीं; हेडफोन से युक्त और इयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ हैं अथवा नहीं; और ऐसे सेट जिनमें एक माइक्रोफोन तथा एक या एक से अधिक लाउडस्पीकर हों; ऑडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एम्प्लिफायर; इलेक्ट्रिक साउंड एम्प्लिफायर सेट्स	2% (कुल लाभ= 2+2= 4%)	5% (कुल लाभ= 5+2= 7%)

3. निम्नलिखित विवरण के तहत परिशिष्ट 37–घ तालिका–1 में वर्तनी की अशुद्धि है जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्रम सं0	एफपीएस उत्पाद कोड	आईटीसी एचएस	मौजूदा विवरण	संशोधित विवरण
484	484	29420016	डी (–) पैरा हाइड्रोक्सील डेन साल्ट	डी (–) पैरा हाइड्रोक्सी डेन्स साल्ट

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 25.02.2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 52 के द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–1 के परिशिष्ट 37घ में लाभ की दर में कतिपय अशुद्धियों और उत्पाद विवरणों में वर्तनी की अशुद्धि को ठीक कर दिया गया है।

19/9/15

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01/61/180/230/एएम13/पीसी–3 से जारी)